



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220699
CG-DL-E-27072020-220699

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2155]
No. 2155]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/श्रावण 5, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2020

का. आ. 2442(अ)—केंद्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उप-धारा (2) के खंड (कक) तथा (कख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) नियम, 2020 है।
- (2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विदेश मुद्रा प्रबंध (गैर-ऋण लिखत) नियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 2 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“2(क) इन नियमों को रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित करना:-

- (1) यह नियम रिजर्व बैंक द्वारा प्रशासित किए जाएंगे।

(2) इन नियमों को प्रशासित करते समय, रिजर्व बैंक ऐसे निदेश, परिपत्र, अनुदेश, स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जो इन नियमों के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हों।

3. मूल नियमों में, नियम 3 में शब्द "और केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श में" का लोप किया जाएगा।
4. मूल नियमों में, नियम 4 में शब्द "और केंद्र सरकार के साथ विचार-विमर्श में" का लोप किया जाएगा।
5. मूल नियमों में, सूची 1 में, सारणी में:-

(i) क्रम सं. 9.3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. तथा प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

क्र.सं. (1)	क्षेत्र/गतिविधि (2)	क्षेत्रीय कैप (3)	प्रविष्टि मार्ग (4)
"9.3	हवाई परिवहन सेवाएं		
	(1) (क) निर्धारित हवाई परिवहन सेवा/घरेलू निर्धारित यात्री एयरलाइन (ख) क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा	100%	49% तक स्वचालित (अनिवासी भारतीयों के लिए स्वचालित 100% तक) 49% से अधिक सरकारी मार्ग
	(2) गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाएँ	100%	स्वचालित
	(3) हेलीकॉप्टर सेवाओं/समुद्री विमान सेवाओं के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के अनुमोदन की आवश्यकता होती है	100%	स्वचालित

टिप्पण: विमान नियम, 1937 की अनुसूची XI के अनुसार अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं (घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन या क्षेत्रीय हवाई परिवहन सेवा सहित) को संचालित करने के लिए एयर ऑपरेटर प्रमाणपत्र ऐसे कंपनी या निकाय कॉर्पोरेट को दिया जाता है, -

- (क) जिसे पंजीकृत किया गया है और उसके व्यापार का प्रमुख स्थान भारत के भीतर है;
- (ख) जिसके अध्यक्ष और उसके निदेशकों में से कम से कम दो-तिहाई भारत के नागरिक हैं; और
- (ग) जिसका पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण भारतीय नागरिकों में निहित है।";

(ii) क्रम सं. 9.5 और उसके साथ संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को रखा जाएगा, अर्थात्:-

(1)	(2)
"9.5	अन्य शर्तें
	(क) हवाई परिवहन सेवाओं में. घरेलू अनुसूचित यात्री एयरलाइन, गैर अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा, हेलिकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाएं सम्मिलित होंगी। (ख) विदेशी एयरलाइनों को ऊपर उल्लिखित सीमा और प्रवेश मार्गों के अनुसार कार्गो एयरलाइंस, हेलिकॉप्टर और समुद्री विमान सेवाओं का संचालन करने वाली कंपनियों की इक्विटी में भाग लेने की अनुमति है।

	<p>(ग) विदेशी एयरलाइनों को अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं का संचालन कर रही, भारतीय कंपनियों की पूंजी में उनकी पेड-अप पूंजी की 49 प्रतिशत तक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन निवेश करने की अनुमति है, अर्थात्:-</p> <p>(i) इसे सरकार के अनुमोदन मार्ग के अधीन बनाया गया है,</p> <p>(ii) 49 प्रतिशत की सीमा एफडीआई और एफआईआई/एफपीआई निवेश को कम करेगी,</p> <p>(iii) निवेश के लिए शेयर और अधिग्रहण (एसएएसटी) विनियमों, अन्य लागू नियम और विनियम के साथ साथ पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकता (आईसीडीआर) विनियम/पर्याप्त अधिग्रहण जैसे मामलों में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) के संबंधित विनियमों का पालन करने की आवश्यकता होगी,</p> <p>(iv) ऐसे निवेश के परिणामस्वरूप भारतीय अनुसूचित और गैर-अनुसूचित हवाई परिवहन सेवाओं से जुड़े होने की संभावना वाले सभी विदेशी नागरिकों को परिनियोजन से पूर्व सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमति प्रदान की जाएगी, और</p> <p>(v) इस तरह के निवेश के परिणामस्वरूप भारत में आयात किए जाने वाले सभी तकनीकी उपकरणों को नागर विमानन मंत्रालय के संबंधित प्राधिकरण से मंजूरी की आवश्यकता होगी।</p> <p>(घ) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त, मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में विदेशी निवेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा, अर्थात्:-</p> <p>(i) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड में विदेशी निवेश, जिसमें एनआरआई जो भारतीय नागरिक हैं के मामलों को छोड़कर, जहां स्वचालित मार्ग के अधीन विदेशी निवेश में 100 प्रतिशत तक की अनुमति शामिल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विदेशी एयरलाइनों की प्रतिशतता 49 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, ।</p> <p>(ii) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड के पर्याप्त स्वामित्व और प्रभावी नियंत्रण वायुयान नियम, 1937 के अनुसार भारतीय नागरिकों में निहित रहेगा।</p> <p>(ङ) नागर विमानन में एफडीआई समय-समय पर यथा संशोधित विमान नियामक, 1937 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।</p> <p>टिप्पण:</p> <p>(i) ऊपर उल्लिखित क्रम संख्या 9.2 और 9.3 में एफडीआई सीमा या प्रवेश मार्ग उस स्थिति में लागू होंगे, जब विदेशी एयरलाइन द्वारा कोई निवेश नहीं होगा।</p> <p>(ii) मेसर्स एयर इंडिया लिमिटेड सहित हवाई परिवहन सेवाओं में काम करने वाली कंपनियों में विदेशी एयरलाइंस द्वारा कोई भी निवेश, ऊपर उल्लिखित प्रविष्टि (ख) और (ग) के अधीन होगा।</p>
--	--

	(iii) 100% तक की एफडीआई से संबंधित उन एनआरआई जो भारतीय नागरिक हैं, के लिए व्यवस्था, उपरोक्त प्रविष्टि (ग) (ii) और (घ) में विनिर्दिष्ट निवेश व्यवस्था के अनुसार जारी रहेगी।"
--	---

[फा.सं. 01/05/ईएम/2019]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं.का.आ. 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और सं.का.आ. 4355 (अ), तारीख 5 दिसंबर 2019, का.आ.1278 (अ), तारीख 22 अप्रैल, 2020 और का.आ.1374 (अ), तारीख 27 अप्रैल, 2020 द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 27th July , 2020

S.O. 2442 (E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

1. (1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) (Third Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), after rule 2, the following rule shall be inserted, namely:-

“2(A). *Reserve Bank to administer these rules.* -

(1)*These rules shall be administered by the Reserve Bank.*

(2)*While administering these rules, the Reserve Bank may interpret and issue such directions, circulars, instructions, clarifications, as it may deem necessary, for effective implementation of the provisions of these rules.”*

3. In the principal rules, in rule 3, the words “*and in consultation with the Central Government*” shall be omitted.

4. In the principal rules, in rule 4, the words “*and in consultation with the Central Government*” shall be omitted.

5. In the principal rules, in Schedule 1, in the Table,-

(i) for serial number 9.3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

S. No. (1)	Sector/Activity (2)	Sectoral Cap (3)	Entry Route (4)
“9.3	Air Transport Services		

	(1) (a) Scheduled Air Transport Service/ Domestic Scheduled Passenger Airline (b) Regional Air Transport Service	100%	Automatic up to 49% (Automatic up to 100% for NRIs) Government route beyond 49%
	(2) Non-Scheduled Air Transport Services	100%	Automatic
	(3) Helicopter services/seaplane services requiring Directorate General of Civil Aviation (DGCA) approval	100%	Automatic

Note: As per Schedule XI of the Aircraft Rules, 1937, Air Operator Certificate to operate Scheduled Air Transport Services (including Domestic Scheduled Passenger Airline or Regional Air Transport Service) is granted to such company or a body corporate, -

- (a) *which is registered and has its principal place of business within India;*
 (b) *whose Chairman and at least two-thirds of its Directors are citizens of India; and*
 (c) *whose substantial ownership and effective control is vested in Indian nationals.” ;*

(ii) for serial number 9.5 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely:-

(1)	(2)
“9.5	Other Conditions”
	<p>(a) Air Transport Services shall include Domestic Scheduled Passenger Airlines, Non-Scheduled Air Transport Services, helicopter and seaplane services.</p> <p>(b) Foreign airlines are allowed to participate in the equity of companies operating Cargo airlines, helicopter and seaplane services, as per the limits and entry routes mentioned above.</p> <p>(c) Foreign airlines are allowed to invest in the capital of Indian companies, operating scheduled and non-scheduled air transport services, up to the limit of 49 per cent of their paid-up capital, subject to the following conditions, namely :-</p> <p>(i) it is made under the Government approval route,</p> <p>(ii) the 49 per cent limit will subsume FDI and FII/FPI investment,</p> <p>(iii) the investments so made would need to comply with the relevant regulations of the Securities and Exchange Board of India (SEBI), such as the Issue of Capital and Disclosure Requirements (ICDR) Regulations/Substantial Acquisition of Shares and Takeovers (SAST) Regulations, as well as other applicable rules and regulations,</p> <p>(iv) all foreign nationals likely to be associated with Indian scheduled and non-scheduled air transport services, as a result of such investment shall be cleared from security view point before deployment, and</p> <p>(v) all technical equipment that might be imported into India as a result of such investment shall require clearance from the relevant authority in the Ministry of Civil Aviation.</p>

	<p>(d) In addition to the above conditions, foreign investment in M/s Air India Limited shall be subject to the following conditions, namely :-</p> <p>(i) foreign investments in M/s Air India Limited, including that of foreign airlines shall not exceed 49 per cent either directly or indirectly except in case of those NRIs, who are Indian Nationals, where foreign investments is permitted up to 100 per cent under automatic route.</p> <p>(ii) substantial ownership and effective control of M/s Air India Limited shall continue to be vested in Indian Nationals as stipulated in Aircraft Rules, 1937.</p> <p>(e) FDI in Civil Aviation shall be subject to provisions of the Aircraft Rules, 1937, as amended from time to time.</p> <p>Note:</p> <p>(i) The FDI limits or entry routes mentioned at serial numbers 9.2 and 9.3 above, are applicable in the situation where there is no investment by foreign airline.</p> <p>(ii) Any investment by foreign airlines in companies operating in Air Transport Services, including in M/s Air India Limited, shall be subject to entries (b) and (c) above.</p> <p>(iii) The dispensation for those NRIs, who are Indian Nationals, regarding FDI up to 100 per cent will continue in respect of the investment regime specified at entries (c) (ii) and (d) above.”</p>
--	--

[F. No. 01/05/EM/2019]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019, S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020 and S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020.